



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141-5159699, 5159600 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

क्रमांक एफ.11(423) रा.प्र.नि.म. / प्रयोगशाला / ५२१८

दिनांक: ०५/०९/२०१९


ई-निविदा सूचना संख्या : ०२/२०१९-२०

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) के अन्तर्गत जयपुर शहर के विभिन्न 9 स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों के संचालन (Operation of Respirable Dust Sampler एवं PM_{2.5} Sampler), उक्त उपकरणों के आस-पास सफाई, सुरक्षा एवं संरक्षण (Safety and Security), वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air samples), संबंधित फ़िल्ड डाटा शीट (Field Data Sheet), सहित विभिन्न कार्यों यथा विश्लेषण इत्यादि कार्य अनुबन्ध के आधार पर कराने हेतु अनुभवी फर्मों से ई निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

निविदा की अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	अमानत राशि तथा RISL शुल्क	निविदा जमा कराने की तिथि	निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
रुपये 18.00 लाख	रुपये 1000/- नगद / डी.डी.	रुपये 36,000/- तथा 500/-	16/09/2019 से 15/10/2019 सायं 5 बजे तक	15/10/2019 सायं 5 बजे तक	16/10/2019 सायं 3:00 बजे

शर्ते एवं अन्य विवरण विभागीय वेबसाईट www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb एवं उपापन पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखे जा सकते हैं। निविदा शुल्क तथा अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सदरय सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर के नाम से एवं RISL शुल्क राजकॉम्प इनफो सर्विस लिमिटेड (RISL) के पक्ष में देय होगा। बिना अमानत राशि के निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

सामूहिक सचिव



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141-5159699, 5159600 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आवेदन निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम/फर्म का नाम :
2. पूरा पता :
3. संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम :
व पदनाम एवं प्रमाणित हस्ताक्षर
4. निविदादाता का दूरभाष संख्या/लेण्डलाइन नं..... मोबाइल नं.....
5. PAN No.
6. ई.एस.आई. पंजीकरण संख्या :
7. GST पंजीकरण संख्या :
8. पी.एफ. पंजीकरण संख्या :
9. Address proof
10. राजकॉम्प इनफो सर्विस लिमिटेड (RISL) के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट रूपये 500/- प्रति निविदा; Processing Fees) क्रमांक..... दिनांक.....
11. निविदा शुल्क : 1000/- रूपये रसीद संख्या/डी.डी./बैंकर चैक क्रमांक..... दिनांक.....
12. अमानत राशि रूपये 36,000/- (रु. छत्तीस हजार रुपये मात्र) डी.डी./बैंकर चैक संख्या..... दिनांक : बैंक का नाम.....
जो सदस्य सविय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर के नाम देय हो।
13. ठेका राशि एक वर्ष के लिए
 - दर प्रति क्षेत्र सहायक प्रतिमाह राशि (अंको में)..... राशि
(शब्दों में)..... रूपये
 - दर प्रति वैज्ञानिक सहायक प्रतिमाह राशि (अंको में).....
राशि (शब्दों में)..... रूपये
 - (क्षेत्र सहायक एवं वैज्ञानिक सहायक के वेतन भत्ते, PF, ESI, etc. Including, All taxes (whichever is applicable) etc.)

Note:- वर्तमान में क्षेत्र सहायकों की आवश्यक संख्या-09 (भविष्य में वृद्धि की जा सकती है।)
वर्तमान में वैज्ञानिक सहायकों की आवश्यक संख्या -03 (भविष्य में वृद्धि की जा सकती है।)

14. मैं/हम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना क्रमांक एफ. 11 (423) रा.प्र.नि.म./प्रयोगशाला-..... दिनांक.....
मैं वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न प्रपत्र में दी गयी उक्त निविदा सूचना की शर्तों से बाये होना खीकार करता हूँ/करते हैं एवं जिनके खीकार किए जाने के प्रमाण में निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।
15. ऊपर उल्लेखित दरें निविदा खोले जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य हैं। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा। ठेका कार्यादेश जारी करने पर

हस्ताक्षर निविदादाता मय गोहर
नाम : मैसर्स :
पता :



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141-5159699, 5159600 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in



राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवायें उपलब्ध कराने हेतु निविदा शर्तः—

- 1 निविदादाता को शर्तों को सावधनीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए एवं निविदा प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णतः पालना करनी चाहिए। निविदादाता को यदि किसी शर्त या कार्य के बारे में कोई सन्देह हो या वह अस्पष्ट लगे तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पहले उसका सदरय सचिव कार्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जावे। किसी भी शर्त की व्याख्या या विशेष विवरण के संबंध में मण्डल का निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा।
- 2 निविदा की एक मूलप्रति ठीक प्रकार से सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर “राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवायें उपलब्ध कराने के लिए मांगी जाने वाली निविदा” अंकित कर उसे सदरय सचिव, राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालाना, 4 संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर को संबोधित करते हुये रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक मण्डल कार्यालय में पहुँच जावे।
- 3 अमानत राशि तथा RISL की प्रोसेसिंग फीस के रूप में डी.डी./बैंकर्स चैक निविदा प्रपत्र के साथ upload करना अनिवार्य है, बिना अमानत राशि तथा RISL की फीस के प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया होगा। डी.डी./बैंकर्स चैक, सदरय सचिव, राजरथान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर के नाम से देय होगा। राजकीय उपक्रम, निगम, स्वायत्तशासी निकाय जो सरकार, सरकारी उपक्रमों, संघ सरकार या राजरथान सरकार की कम्पनियों द्वारा नियंत्रित/प्रबन्धित संस्थाओं को अमानत राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 4 सफल निविदादाता को कार्यादेश दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर—अन्दर रवंय के खर्च पर रुपये 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल रेटाम्प ऐपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
- 5 निविदा (ठेका) अनुमोदित होने पर जारी कार्य आदेश की तिथि के सात दिवस में वार्षिक ठेके की राशि के 5% के बराबर राशि प्रतिभूति के रूप में सदरय सचिव, राज0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिभूति पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा। ठेका अवधि पूर्ण होने के पश्चात ठेका अवधि में कार्य सन्तोषजनक होने तथा किसी प्रकार का विवाद नहीं होने की स्थिति में प्रतिभूति राशि नियमानुसार वापिस लौटा दी जावेगी। निविदादाता चाहे तो अमानत राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित करा सकेगा।
- 6 निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करने अथवा प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने पर उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुये निविदा निरस्त कर दी जावेगी एवं अन्य निविदादाता की निविदा स्वीकृत करने का निर्णय लिया जा सकेगा।
- 7 प्रत्येक निविदादाता के पारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत जारी प्रमाण पत्र मय डिजिटल हरताक्षर होना आवश्यक होगा।
- 8 यह निविदा केवल वही व्यक्ति/फर्म/संस्थाएँ प्रस्तुत कर सकती है जिनका पंजीयन श्रम विभाग, आयकर विभाग पी.एफ. व ई.एस.आई. में हो। साक्ष्य के रूप में उक्त पंजीयन प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां निविदा के साथ upload करना अनिवार्य है। बिना पंजीयन प्रमाण पत्रों के आवेदन करने वाली फर्म/व्यक्ति/संस्थाओं की निविदा को निरस्त समझा जावेगा।
- 9 राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (**National Ambient Air Quality Monitoring Programme**) कार्य का विस्तृत विवरण :—
वर्तमान में जयपुर शहर में प्रबोधन केन्द्र (**Monitoring Stations**) निम्न स्थानों पर स्थित है :—



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141-5159699, 5159600 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

क्रमांक	स्थान का नाम	केन्द्रीय प्रयोगशाला का नाम व पतों जहाँ नमूने जमा कराने है।
1.	Recreacation Center, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	
2.	PHED Office, अजमेरी गेट, जयपुर	
3.	RSEB Office, चांदपोल / ब्रह्मपुरी पुलिस थाना, जयपुर	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, 4, पर्यावरण मार्ग, संरथानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
4.	रा.प्र.नि.मं. मुख्यालय, झालाना डूंगरी, जयपुर	
5.	क्षेत्रीय कार्यालय भवन, रा.प्र.नि.मं., सीकर रोड,	
6.	रीको कार्यालय, मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	
7.	रीको कार्यालय औद्योगिक क्षेत्र, बाईस गोदाम, जयपुर	
8.	रीको कार्यालय औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर	
9.	नगर निगम कार्यालय भानसरोवर, जयपुर	

उक्त प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations) की संख्या नौ से अधिक की जा सकती है।

9.1 परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र पर क्षेत्र सहायक के अपेक्षित कार्य:-

- **कार्य का विवरण:** राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) जयपुर स्थित (09) स्थानों पर, जो बाद में बढ़ा कर बारह (12) स्थानों तक किये जा सकते हैं, पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों के चालन, (Operation of Respirable Dust Sampler एवं PM2.5 Sampler), उक्त उपकरणों के आस-पास सफाई, रक्षा एवं सुरक्षित रखने (Safety And Security), वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air samples) एवं संबंधित आंकड़ों (Ambient Air Quality Monitoring Data Sheet) सहित विश्लेषणार्थ (Analysis) एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला, रा.प्र.नि.मं., जयपुर को निर्देशानुसार आंकड़ों तथा वायु नमूनों का हस्तान्तरण (Hand over) / परिवहन करना। Sample (नमूना) के परिवहन के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रबोधन केन्द्रों के स्थानों को परिवर्तित भी किया जा सकता है। मापन किये जाने वाले वायु प्रदूषकों तथा मशीनों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।
 - निर्धारित रेतेश्नों पर मण्डल द्वारा उपलब्ध करायी गयी मशीनों का सुचारू रूप से प्रचालन (Operation of Equipments)
 - प्रत्येक प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) प्रत्येक सप्ताह में दो दिवस 24 घन्टे चलाया जायेगा।
 - वांछित कार्य सम्पादन के लिये 8 घन्टे प्रति पारी (6.00 ए.एम से 2.00 पी.एम, 2.00 पी.एम से 10 पी.एम एवं 10.00 पी.एम, से 6.00 ए.एम) के संचालन हेतु प्रति पारी न्यूनतम एक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) नियुक्त किया जायेगा।
- 9.2 मण्डल द्वारा विशेष परिस्थिति एवं त्यौहार यथा दीपावली के दौरान आवश्यक होने पर किन्ही चुनिंदा स्थानों/उपरोक्त लिखित प्रबोधन केन्द्र (केन्द्रो) पर सप्ताह में दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस या अधिक दिन को भी यह कार्य किया जा सकता है। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी। इन कार्यों का भुगतान आनुपातिक दरों के अनुसार किया जायेगा।



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141-5159699, 5159600 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

- 9.3 क्षेत्र सहायक (Field Assistant) की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है। वर्तमान में क्षेत्र सहायकों की आवश्यकता-09 (भविष्य में बढ़ोतरी योग्य)
- 9.4 **वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant)** के अपेक्षित कार्य:-
परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के कुशल संचालन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के अतिरिक्त मण्डल द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले विभिन्न कार्यों का समयबद्ध तरीके से सम्पन्न करना।
- 9.5 वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर (विज्ञान) परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है तथापि राज्य मण्डल के सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकों प्रयोगशाला में अधिकारी के रूप में कार्य करने का उचित अनुभव है एवं विज्ञान में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण है वे भी उक्त पद के लिए योग्य हैं। वर्तमान में क्षेत्र सहायक की आवश्यकता-03 (भविष्य में बढ़ोतरी योग्य)
- 9.6 शहर में परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन हेतु (Air Quality Monitoring) निर्धारित स्थानों पर अविस्थित स्टेशन (Air Quality Monitoring Stations) ठेकेदार के कर्मियों द्वारा संचालित किये जायेंगे।
- 9.7 मुख्य/अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी/अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय-समय पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, जिसके दौरान पायी गई कमियों के आधार पर ठेकेदार/संरक्षा पर शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी कमियों का ठेकेदार/संरक्षा द्वारा तुरन्त निराकरण करना होगा।

परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य की शर्तें:-

- निविदादाता को जयपुर शहर के सम्पूर्ण प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations) वर्तमान संख्या 9 पर कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
- ठेकेदार/फर्म को पूर्व में सरकारी, अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में तकनीकी कार्य के लिए कर्मचारी आपूर्ति कराने का न्यूनतम दो वर्ष का सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव का प्रमाण पत्र (जो कि सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी किया गया हो) निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा। इस प्रमाण पत्र के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। कार्यादेश को अनुभव का प्रमाण रखीकार नहीं किया जावेगा।
- सदस्य सचिव को अधिकार होगा कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की विधि में नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त कर सके। इस बारे में अनुबन्धकर्ता किसी भी हर्जे-खर्चे की मांग नहीं कर सकेगा एवं निविदादाता द्वारा जमा करायी गयी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दस्तावेजों में कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने एवं उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि को जब्त करने का अधिकार सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल, जयपुर को होगा।
- विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अर्थीकृत कर सकता है। विभाग के लिए न्यूनतम दर की निविदा रखीकार करने की वाध्यता नहीं होगी।
- निविदा के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
- मुहरबन्द निविदा प्रपत्र मय अमानत राशि (Earnest Money) एवं अन्य दस्तावेजों को दिनांक 15.10.2019 को अपराह्न 5.00 बजे तक राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल, जयपुर में पहुंच जाने चाहिए। प्राप्त निविदाये दिनांक 16.10.2019 को दोपहर 03:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
- निविदा की दरें E-Tender में ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक हैं। Uploaded हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज मण्डल में जमा करवाना आवश्यक है इसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) के



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004


Phone : 0141-5159699, 5159600 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

अन्तर्गत वायु नमूना संग्रहण (Ambient Air Monitoring) आंकड़ा प्रतिवेदन पत्र (Data Sheet) सहित केन्द्रीय प्रयोगशाला को परिवहन के कार्य हेतु ठेका एक वर्ष के लिए दिया जावेगा। ठेके की अवधि में कार्य उत्कृष्ट पाये जाने की स्थिति में ठेका आपसी सहमति से पूर्व स्वीकृत दरों एवं शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है।

- प्रबोधन कार्य संचालन (Handling of Monitoring work) सम्पादन हेतु मशीन, उपरकर/उपकरण, रसायन तथा कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of equipment, supply of Absorbing Solutions, Filter Papers) आदि मण्डल प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत, सर्विस (Servicing and Repairing) आदि की जिम्मेदारी मण्डल की होगी लेकिन प्रत्येक क्षेत्र सहायक (Technical Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की कर्तव्य निष्ठा, सुचारू रूप से मशीन के संचालन/संधारण आदि के लिये निविदादाता उत्तरदायी होगा। क्षेत्र सहायक (Field Assistant)/ एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) द्वारा मशीन के चालन/प्रचालन में रुकावट पर तुरन्त मण्डल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा। यदि ठेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Technical Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की लापरवाही से मशीन के खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मकों, फिल्टर पेपर, आंकड़ा प्रतिवेदन, आंकड़ा संग्रह आदि को क्षति पहुंचाने या दुरुपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी तथा मण्डल उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय को धरोहर राशि/उसे देय भुगतान में से वसूल कर सकेगा।
- ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेग्यूलशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। आयकर विभाग में रथायी खाता संख्या एवं GST में रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न किया जावे।
- कार्यों के विवरण में दिये गये कार्यों को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समरत जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जायेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
- कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमों के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
- ठेकेदार प्रतिमाह मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी या समकक्ष से मासिक विल प्रमाणित करायेगा। मण्डल द्वारा स्वीकृत निविदा राशि का ही भुगतान किया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य भुगतान नहीं किया जायेगा।
- ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये ठेका निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
- ठेके की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर अध्यक्ष, रा० प्र० नि० म०, जयपुर आर्बिट्रेटर होगा और उनका निर्णय अनितम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।

अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:

- 1 ठेकेदार/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रों के संलग्न करेगा।
- 2 इस निविदा के तहत कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार/संस्था द्वारा निर्धारित योग्यताधारी व्यक्तियों को नियोजन किया जायेगा तथा ऐसे नियोजित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा। यदि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो इस हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 3 ठेकेदार/संस्था द्वारा इस प्रकार नियोजित रामस्त व्यक्तियों के आचरण की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/संस्था की होगी तथा उसकी अनुशंसा पर ही उसके कर्मियों के मण्डल कार्यालय द्वारा प्रवेश



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141-5159699, 5159600 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

पत्र / परिचय – पत्र बनाए जायेगें। प्रत्येक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) के लिये (ठेकेदार/संरक्षा के प्रतिनिधि सहित) मण्डल कार्यालय का प्रवेश पत्र रखना आवश्यक तथा मांगने पर दिखाना होगा।

- 4 प्रबोधन केन्द्र के चालन के समय 24 घंटे व्यक्ति उपलब्ध रहना अनिवार्य है।
- 5 ठेकेदार/संरक्षा द्वारा कार्य पर लगाये गये क्षेत्रीय सहायकों एवं वैज्ञानिक सहायकों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
- 6 ठेकेदार/संरक्षा द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध-सिद्ध दोषी, सजायाफ़ता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
- 7 ठेकेदार/संरक्षा के व्यक्तियों द्वारा यदि मण्डल सम्पत्ति, स्टेशन पर रखापित उपकरण, विभिन्न रसायनों, अभिकर्मकों आदि को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार/संरक्षा को करनी होगी।
- 8 ठेकेदार/संरक्षा को राज्य मण्डल के अवधाता, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपरिथत होगा।
- 9 ठेकेदार/संरक्षा द्वारा नियोजित किये जाने वाले क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) के संबंध में विभिन्न श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के प्रावधानों की पालना करने का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार/संरक्षा का होगा। राज्य मण्डल उक्त समस्त श्रम कानूनों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
- 10 प्रभावी श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (EPF) एवं बीमा (ESI) और सेवाकर आदि की राशि जमा करवाने, एवं अन्य वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार/संरक्षा के होंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान मण्डल कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
- 11 श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना न करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है।
- 12 ठेकेदार/संरक्षा द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक संबंधी विवाद में दायित्व ठेकेदार/संरक्षा का होगा तथा मण्डल कार्यालय से उनका कोई साबन्ध नहीं होगा।
- 13 यदि अनुबन्ध से संबंधित कार्यों के सम्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तों/कार्यादेश में शास्ति (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यों में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति सदरस्य रचिव द्वारा आरोपित की जा सकेंगी।
- 14 ठेकेदार द्वारा चुकाये जाने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति (Payment or Security) राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।
- 15 उक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों/RTPP Rules की शर्तें व विनियम भी ठेकेदार/संरक्षा को स्वीकार्य होंगे।
- 16 इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के संबंध में कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किया जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संरक्षा द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नहीं हो।
- 17 यह कि मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त कार्य का कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद सविदा समाप्त की जा सकेंगी।
- 18 इस निविदा के तहत अनुबन्ध की अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होगी तथापि अनुबन्ध की अवधि में कमी अथवा बढ़ोतारी करने का अधिकार मण्डल कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141-5159699, 5159600 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

- 19 इस निवादा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध की शर्तों की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर अध्यक्ष, रा० प्र० नि० म०, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संरक्षा को मान्य होगा एवं ठेकेदार एवं राज्य गण्डल आपसी सहमति से अनुबंध को एक वर्ष के लिए निवादा की शर्तों एवं दरों पर बढ़ा सकते हैं।
- 20 ठेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Field Assistant) द्वारा नमूने के एकत्रीकरण के कार्य में प्रतिदिन केन्द्रीय प्रयोगशाला प्रभारी के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में नमूनों को मय आकड़ा प्रतिवेदन (Collected sample and Data Sheet) विश्लेषण के लिये जगा कराया जायेगा।

शास्ति (Penalty)

- ठेकेदार/ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा आंकड़ा प्रतिवेदन एवं नमूनों को केन्द्रीय प्रयोगशाला में समय पर जमा नहीं कराने पर उस दिन की भुगतान (Payment) की जाने वाली राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उस दिन किये जाने वाली भुगतान राशि के बराबर की राशि की शास्ति (Penalty) लगायी जायेगी।
 - ठेकेदार द्वारा लगातार तीन दिवसों पर कार्य में लापरवाही करने पर उन दिनों को भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुना राशि शास्ति के रूप में वसूली जायेगी।
 - लगातार सात कार्य दिवसों पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रतिभूति राशि पूर्ण रूप से जब्त करी जायेगी तथा उसकी जोखिम पर कार्य अन्य संख्या से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि ठेकेदार से वसूल की जायेगी।
- 21 किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।
 - 22 आगामी माह का बिल का भुगतान गत माह की E.S.I., P.F. के जमा की चालान की प्रतिलिपि मय सूची प्रस्तुत करने पर ही, किया जायेगा।
 - 23 श्रम विभाग की दरों एवं अन्य प्रावधानों की पालना भी सुनिश्चित की जायें।

हस्ताक्षर निवादादाता मय मोहर

दिनांक :

नाम : मैसर्स :

पता :